

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्या: 06/2018

दायर दिनांक: 16.04.2018

निर्णय दिनांक 19.08.2019

—:अनवान:—

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक नाथद्वारा

प्रार्थी

—:बनाम:—

श्री अनुराग पुत्र बाबूलाल सनादय प्रो० मै० छप्पन भोग रेस्टोरेन्ट बस स्टेण्ड
नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 6 ए अप्रार्थी द्वारा एल०पी०जी० घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल०पी०जी० गैर सिलेण्डर मय एल०पी०जी० गैस को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थित:—

- 1- परोकार सरकार
- 2- श्री राहुल सनादय अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रवर्तन निरीक्षक नाथद्वारा ने प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थी के दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.04.2018 को हमराह श्री चक्षु पंड्या, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री हीरालाल हेड कास्टेबल पुलिस थाना नाथद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार कास्टेबल पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मै० छप्पन भोग रेस्टोरेन्ट बस स्टेण्ड तहसील नाथद्वारा प्रो० श्री अनुराग पुत्र बाबूलाल सनादय के मिष्ठान भण्डार की जांच की गई मौके पर बाबूलाल सनादय उपस्थित थे, मिष्ठान भण्डार पर दौराने जांच इण्डेन गैस कम्पनी के 02 घरेलू सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस पाया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया इनके द्वारा मिष्ठान भण्डार पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री बनाये पाये जाने की आशंका उत्पन्न होती है। मौका जांच के दौरान उक्त गैस सिलेण्डरो के बारे में जानकारी चाही गई जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस जब्त की जाकर श्री केदार पुत्र रतनलाल बागडी हॉल मैनेजर, मै० सोनल गैस एजेन्सी नाथद्वारा को ठीक तरीके से सिपूर्ड किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमें संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का प्रकार	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का (बाट, माप विभाग से प्रमाणित) मशीन से तोलने पर कुल वजन	सिलेण्डर में उपलब्ध गैस का वजन किलोग्राम में
1	23840	आई.ओ.सी.	डीओएम	16.6	20.2	3.6
2	14538	आई.ओ.सी.	डीओएम	15.7	26.10	10.4
	योग:—			32.3	46.3	14

अतः श्री अनुराग पुत्र बाबूलाल सनादय प्रो० मै० छप्पन भोग रेस्टोरेन्ट बस स्टेण्ड तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जाना



पाया गया जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। उपरोक्त आदेश ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत जारी किये गये है। इन आदेशों की उल्लंघन ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किलो गैस को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। परोकार सरकार की बहस सुनी गयी। परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मै0 छप्पन भोग रेस्टोरेन्ट बस स्टेण्ड तहसील नाथद्वारा प्रो0 श्री अनुराग पुत्र बाबूलाल सनादय के मिष्ठान भण्डार की जांच की गई मौके पर बाबूलाल सनादय उपस्थित थे, मिष्ठान भण्डार पर दौरान जांच इण्डेन गैस कम्पनी के 02 घरेलू सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस पाया गया। मौके पर प्रथम दृष्टया इनके द्वारा मिष्ठान भण्डार पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री बनाये पाये जाने की आशंका उत्पन्न होती है। मौका जांच के दौरान उक्त गैस सिलेण्डर के बारे में जानकारी चाही गई जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस जब्त की जाकर श्री केदार पुत्र रतनलाल बागडी हॉल मैनेजर, मै0 सोनल गैस एजेन्सी नाथद्वारा को ठीक तरीके से सिपूद किये जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

परोकार सरकार की बहस पर गहन मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी की दुकान पर दौरान जांच इण्डेन गैस कम्पनी के 02 घरेलू सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस पाया गया। वक्त जांच उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी की ओर से बहस में भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकादय तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग हेतु अवैध रूप से संग्रहित किया जाना पाया जाता है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस को राजसात किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 14 किग्रा गैस का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

